

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-309/18 श्र0सं0- 141
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ।

पटना, दिनांक:- 8-2-19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0305-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (विपत्र कोड-26-2230017890305) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3376 दिनांक-14.05.18 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	37-अनुग्रह अनुदान के तहत विषयशीर्ष-0305.37.01 अनुग्रह अनुदान से श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-32 दिनांक-09.01.19 के आलोक में 04 बंधुआ मजदूर हेतु राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से
1	2	3
जहानाबाद	04	40000

कुल आवंटित राशि ₹ 40,000/- (₹ चालीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- आवंटित की गयी राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं उन्ही विमुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाय जिन्हें इस योजना के तहत लाभांशित नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
8-2-19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/18 श्र0सं0:- 141 पटना, दिनांक 8-2-19
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8/2/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/18 श्र0सं0 141 पटना, दिनांक 8-2-19
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.36(श्रमपक्ष) दिनांक-24.01.19 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

8/2/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

* स्पीड
पोस्ट